कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक– 329 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक, सितम्बर, 06 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–448/FP/UK/MIN/154581 दिनांक–16.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या–547/12–1 दिनांक 02.09.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:–

आपत्ति	प्रतिउत्तर
1- (i) Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File सी.डी प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है।
ii. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:	
b- Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टनकपुर बैराज के निर्माण आदि हेतु एफ. सी. के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार कमशः इण्डो नेपाल सीमा के अन्तर्गत टनकपुर बैराज से बरमदेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.34 है० वन भूमि तथा टनकपुर बैराज से भारत नेपाल के मध्य 1.2 किमी० लम्बी नहर के निर्माण हेतु 12 है० वन भूमि एन0 एच0 पी0 सी0 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8 बी/ यूसीपी /06/49/ 2018/ एफसी /551 दि. 26.06.2018 एवं पत्र संख्या–8 बी/ यूसीपी /02/90/ 2018/ एफसी /505 दि. 31.05.2019 से अनुमति प्रदान की गयी है। टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाशय क्षेत्र आर0डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही आवंटित बॉध क्षेत्र में एन0 एच0 पी0 सी0 द्वारा समय–समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है। इस प्रकार गूगल इमेजरी में जो भी गैर वानिकी कार्य दृश्यमान हैं, वे नियमतः हैं एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है।
c- KML file of the safetyzone has not been submitted/uploaded online.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि KML file upload की गयी है, उक्त सी. डी. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

आपत्ति	प्रतिउत्तर
d- As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्र संख्या 173/ 12–1/दिनांक 20.07.2022 द्वारा दुधवा–लग्गा–बग्गा–पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
iii. Examination of the Mining scheme revealed the following:	
a- Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक–26.06.2020, जो औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी किया गया है उसका मुख्य अंश यह है कि " **उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उप खनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्षों की अवधि हेतु किये जाने बावत उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।**" इस प्रकार शासन के पत्र दि. 26.06.2020 द्वारा उप खनिज चुगान की अनापत्ति प्रदान की गयी है ना कि अनुमति। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–61/99–एफ. सी. दिनांक 11 फरवरी 2013 से शारदा नदी में दि. 11 फरवरी 2023 तक उप खनिज चुगान की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रकार दि. 11 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों के लिए शारदा नदी में 384.69 हैक्टे0 क्षेत्रफल में उप खनिज चुगान का यह प्रस्ताव है, जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 हैक्टे0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हैक्टे0 है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25–25% छोड़ा जाता है एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण 384.69 है० क्षेत्र में एफ. सी के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जानी है।
vi- Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided/uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure–III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 329 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक–547/12–1 दिनांक 02.09.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Sandeep.bhandari01@gmail.com/12-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड शासन

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 547 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 02 /09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– **जनपद चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है० का उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक–448 /FP/UK/MIN/154581 दिनांक–16.08.2022।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संकलित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 384.69ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के विवरण एवं KML/Shape File सी.डी में संलग्न है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गयी है। **(संलग्नक–1)**
ii. Analysis of the proposal using Decision Support System revealed the following:	
b- Tanakpur dam, NHPC Ltd. power station and a road is visible inside the area proposed for mining. Some non-forestry works is visible near the dam site which can be verified through the Google Imagery available from year 2019 onwards. State Government may comments on the same via-a-vis violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	टनकपुर बैराज के निर्माण आदि हेतु एफ. सी. के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार क्रमषः इण्डो नेपाल सीमा के अन्तर्गत टनकपुर बैराज से बरमदेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.34 है० वन भूमि तथा टनकपुर बैराज से भारत नेपाल के मध्य 1.2 किमी० लम्बी नहर के निर्माण हेतु 12 है० वन भूमि एन0 एच0 पी0 सी0 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8 बी/ यूसीपी /06/49/ 2018/ एफसी /551 दि. 26.06.2018 एवं पत्र संख्या–8 बी/ यूसीपी /02/90/ 2018/ एफसी /505 दि. 31.05.2019 से अनुमति प्रदान की गयी है। टनकपुर बैराज से अपस्ट्रीम में जलाषय क्षेत्र आर0डी0 2200 मी0 तक है तथा टनकपुर बैराज से डाउनस्ट्रीम में निर्मित 335 मीटर तक है, जो खनन हेतु प्रतिबन्धित है साथ ही आवंटित बॉध क्षेत्र में एन0 एच0 पी0 सी0 द्वारा समय–समय पर बॉध की मरम्मत कार्य किया जाता है। इस प्रकार गूगल इमेजरी में जो भी गैर वानिकी कार्य दृष्यमान हैं, वे नियमतः हैं एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है।
c- KML file of the safetyzone has not been submitted/uploaded online.	KML file upload की गयी है, जो सी. डी. के रूप में भी संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक–2)**

d- As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी की पत्र संख्या 173/ 12–1/दिनांक 20.07.2022 के द्वारा दुधवा–लग्गा–बग्गा–पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लिखा गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
iii. Examination of the Mining scheme revealed the following:	
a- Mining Plan/Scheme mention that time extension of lease has been granted for a period of another 10 years vide Government letter dated 26.06.2020. It needs to be clarified by the State whether the extension is considered over 55.03 ha or entire area of 384.69 ha approved under the FC Act, 1980.	उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक–26.06.2020, जो औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी किया गया है उसका मुख्य अंष यह है कि " **उत्तराखण्ड के आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित गौला, कोसी, दाबका नदी तथा जनपद चम्पावत स्थित शारदा नदी से उप खनिज चुगान एवं निकासी का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा आगामी 10 वर्षों की अवधि हेतु किये जाने बावत उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति है।**" इस प्रकार शासन के पत्र दि. 26.06.2020 द्वारा उप खनिज चुगान की अनापत्ति प्रदान की गयी है ना कि अनुमति। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–61/99–एफ. सी. दिनांक 11 फरवरी 2013 से शारदा नदी में दि. 11 फरवरी 2023 तक उप खनिज चुगान की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रकार दि. 11 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों के लिए षारदा नदी में 384.69 हैक्टे0 क्षेत्रफल में उप खनिज चुगान का यह प्रस्ताव है, जिसमें अपस्ट्रीम 101.00 हैक्टे0 तथा डाउनस्ट्रीम 283.69 हैक्टे0 है। जिसमें नदी के दोनों किनारों की ओर 25–25% छोड़ा जाता है एवं नदी के टापू के क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण 384.69 है० क्षेत्र में एफ. सी के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जानी है।
vi- Details of estimation of cost benefit ratio has not been provided/uploaded online. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure–III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	लाभ तालिका संलग्न है। **(छायाप्रति संलग्नक–4)**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

D:DFo_letter

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी। सलंग्नक- (1)
टनकपुर (शारदा) वन परिसर, वार्ड नम्बर- 8, जनपद- चम्पावत, E-mail- roshardarange@gmail.Com

पत्रांक :- 133 / 7-1, **टनकपुर ,** **दिनांक:-** 26 / 07 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय :- **हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक से सादर अवगत कराना है, कि शारदा वन क्षेत्र के अन्तर्गत F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान के सापेक्ष के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक करार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(महेश सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी,
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर

संलग्न-(1)

वर्ष	प्रभाग का नाम	परियोजना का नाम जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित किया गया है	हस्तान्तरित वन भूमि	हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण				सफलता प्रतिशत	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति
				रेंज का नाम	स्थल का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रफल (है0 में)	रोपित पौधों की संख्या			
2015	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टेयर)	–	शारदा	शारदा द्वितीय वीट शारदा टापू संख्या 35 व 38 के मध्ये	25	12500	70%	2014000.00	–
2016			–	शारदा	शारदा टापू संख्या 42	16	16000	75%	889688.00	–
2016			–	शारदा	शारदा टापू संख्या 36	28	28000	90%	1385467.00	–
2016			–	शारदा	शारदा टापू संख्या 43 व 44 के मध्य	16	16000	80%	1030047.00	–
2016			–	शारदा	शारदा टापू संख्या 37 में	63	63000	78%	3218523.00	–
2020			–	शारदा	शारदा टापू संख्या– 36	20	20000	85%	1913554.00	–
2020			–	शारदा	शारदा टापू संख्या– 34 व 35 मध्ये	20	20000	80%	2007748.00	–
2021			–	शारदा	शारदा टापू संख्या– 35 व 36 मध्ये	20	22000	90%	2000351.00	–
2021			–	शारदा	शारदा टापू संख्या– 37	20	22000	91%	1617520.00	–
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 37 भाग–01	21	23100	100%	1965091.00	वर्तमान में अग्रिम मृदा कार्य की धनराशि व्यय की गयी है, तथा वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वनीकरण की धनराशि प्राप्त नही हुयी है।
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 42	20	22000	100%	2020725.00	

2022	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	F.No- 8-61/1999 FC (Pt-111) Date- 11-02-2013 शारदा नदी के उपखनिज का चुगान। (384.69 हैक्टेयर)	–	शारदा	शारदा टापू सं0– 36 भाग–01	15	16500	100%	2004463.00	वर्तमान में अग्रिम मृदा कार्य की धनराशि व्यय की गयी है। वनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वनीकरण की धनराशि प्राप्त नही हुयी है।
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 41	14	15400	100%	1463937.00	
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 35 एवं 37 मध्ये भाग–01	22	24200	100%	2095439.00	
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 35 एवं 37 मध्ये भाग–02	22	24200	100%	2140311.00	
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 14	7	7700	100%	1141345.00	
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 36 भाग– 02	21	23100	100%	2139503.00	
2022			–	शारदा	शारदा टापू सं0– 13	15	16500	100%	903688.00	
					सम्पूर्ण योग–	**385**	**392200**	–	**31951400.00**	

(महेश सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी,
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर।

(महेश सिंह अधिकारी)
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी,
शारदा टापू अनुभाग।

(पुष्पेन्द्र सिंह राणा)
वन बीट अधिकारी,
शारदा टापू द्वितीय बीट।

संलग्न -2

Worldwide Autoroute DEM Basemap NR SE

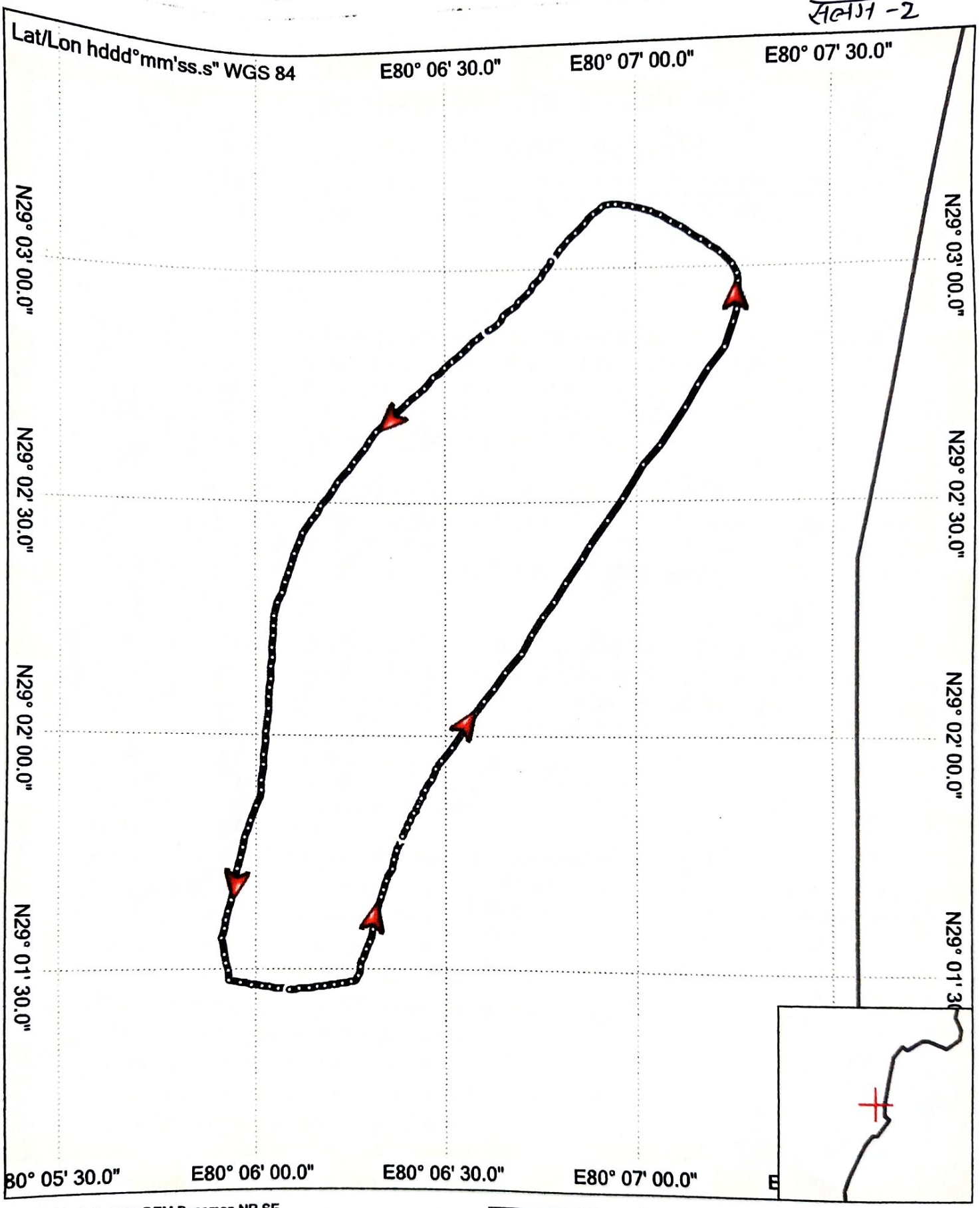

© (c) Mapmyindia 2015
© Courtesy of National Oceanic and Atmospheric Administration / National Ocean Service 2015
© Garmin Ltd. and Its Subsidiaries 2015
© National Land Survey of Iceland 2015
© U.S. Dept. of Transportation 2015

0 m | 350 m | 700 m | 1050 m | 1400 m

TN MN 0.6° 1/1/2010

Simankan 2022-23

GARMIN.

KML SAFETYZONE

संलग्नक 3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 173 /12–1 हल्द्वानी, दिनांक 20.07. 2022

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजपुर रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः– **जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत स्थित** शारदा नदी में 384.69 है० क्षेत्र के चुगान कार्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ MIN/154581/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा 384.69 है० क्षेत्र में उप–चुगान कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अवधि वर्ष फरवरी 23 में समाप्त हो रही है। पुनः आगामी दस वर्ष का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया था, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या–8–61/1999–एफ.सी. (पार्ट–II) दिनांक–13 मई 2022 द्वारा प्रकरण में आपत्ति उठायी गयी है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति उठायी गयी है कि उक्त क्षेत्र दुधवा–लग्गा–बग्गा–पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर की सीमा से लगभग 3 कि.मी. (1.6 कि.मी. हवाई दूरी) की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित प्रस्ताव पर मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया प्राप्त की जाय। जिसे मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्तुत किया जाएगा।

महोदय यद्यपि प्रश्नगत क्षेत्र दुधवा–लग्गा–बग्गा–पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर से 3.00 किमी. की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं एवं पूर्व में भी 10 वर्षों के लिए उप चुगान की अनुमति प्रदान की गयी थी। यह भी अवगत कराना है कि उप चुगान से वन्य जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अतः अनुरोध है कि प्रकरण में उठायी गयी आपत्ति पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

संलग्न-5

कार्यालय –प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम

मॉं पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर, जिला– चम्पावत

e-mail :- dfdmkhananshardа@yahoo.in,GSTN-05AAALU0009MOZG दूरभाष :-05943-266130, fax – 05943-265283

पत्रांक सं0:- 468 /वन स्वीकृति/ दिनांक :- 27/08/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय:- जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है0 का उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षो हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ,वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 448 /FP/UK/MIN /154581/2021/ देहरादून/दिनांक 16.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के अनुपालन में सादर अवगत कराया जाना है कि जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के वन स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना मय संलग्नो सहित 03 मूल प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 12-1
क्रम सं0 1238
पंजीकृत सं0
दिनांक

भवदीय

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
टनकपुर (चम्पावत)

पत्रांक:- 468 /उक्तदिनांकित:-

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
टनकपुर (चम्पावत)

प्र0 नि0

प्र0 प्र0

परिशिष्ट-4

प्रपत्र 2.2

Name of project- Collection of minor mineral from the SHARDA RIVER

Block -

District: - Champawat

Sr.no	Particulars	Approx. Amount in Lakhs	Remarks
1	Total Cost (investment incurred) for 10 years	2100.00	Fencing of safety zone staff salary, labour welfare, Repair and maintenance, other expenditures.
(A)	Construction cost of project	10.00	Already infrastructure are developed, only maintenance is applicable
(B)	N.P.V Amount to be Deposited @--- lakh/Ha	N/A	Already deposited
(C)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited	N/A	
	Total	2110.00	
2	Benefits:- Benefits from taking age of project as 10 years	28040.00	
(A)	Economic Benefits-Market Development Taking	2000.00	Production cost and other
(B)	Direct employment of labours	7200.00	About 5000 labours will be working for 8 month/year for 10 years @Rs 600=7200.00 Lakh These labours are directly paid by buyer.
(C)	Employment Generation Due to other activities	3000.00	
(D)	Therefore Construction of Economically viable and social beneficial	-	

Divisional Logging Manager (Mining)
Uttarakhand Forest Development Corporation
Sharda Khanan Division (Champawat)

Annex-4

Cost Of Project

Name of project- Collection of minor mineral from the SHARDA RIVER

Uttarakhand Forest Development Corporation, Sharda khanan (Champawat)

Sr.no	Particulars	Approx. Amount in Lakhs	Remarks
1	Total Cost (investment incurred) for 10 years	2100.00	Fencing of safety zone staff salary, labour welfare, Repair and maintenance, other expenditures.
(A)	Construction cost of project	10.00	Already infrastructure are developed, only maintenance is applicable
(B)	N.P.V Amount to be Deposited @--- lakh/Ha	N/A	Already deposited
(C)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited	N/A	
	Total	2110.00	
2	Benefits:- Benefits from taking age of project as 10 years	28040.00	
(A)	Economic Benefits-Market Development Taking	2000.00	Production cost and other
(B)	Direct employment of labours	7200.00	About 5000 labours will be working for 8 month/year for 10 years @Rs 600=7200.00 Lakh These labours are directly paid by buyer.
(C)	Employment Generation Due to other activities	3000.00	
(D)	Therefore Construction of Economically viable and social beneficial	-	

Note: - Total Expenditure Sl No I= RS 2110.00 (In Lakhs)
Benefits Sl No 2 = RS 28040.00 (In Lakhs)
Therefore, Benefits/cost Ratio Is S.no 2/s.no1 =28040.00/2110.00= 13.29
Therefore the project Is economically viable socially beneficial

Divisional Logging manager (Mining)
Uttarakhand Forest Development Corporation
Sharda Khanan Division (Champawat)

संलग्न-4

79

Name of the Project - **Collection of the Minor Mineral (Boulder Bajri,Sand,RBM) from the sarada River for Next 10 Years (2023-2033)**

Parameter for Evaluation of loss of Forest
Nature of Proposal – Collection of the Minor Minerals from Sharda River as per the silvicultural requirement

Annexure-VI(B)

Sl. No	Parameters	Roads Tr Lines& Railways Lines
1	Loss of value of timber, fuel wood and Minor forest produce on an annual basics including loss of name hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	About 12 lakh cubic meter of Minor Mineral can safely be collected from middle of the river as per the silviculture requirement to protect the nearby forestland and habitat there for there is no loss of any forest
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder.	No loss of animal's husbandry productivity and loss of fodder because collection of the Minor Mineral has to be done in the Middle of the river Which is free from animals and fodder.
3	Cost of Human resettlement	Not applicable
4	Loss of Public facilities administration Infrastructure (Road, buildings, schools, dispensaries, Electric line, Railways etc) on which would required forest land if these facilities were diverted due to the project.	Not applicable
5	Environment losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitual microclimate upsetting of ecological balance)	Not applicable
6	Suffering to oustees	Not applicable

Divisional Logging Manager
Uttarakhand Forest Development Corporation
Khanan Division Tanakpur (Champawat)

सल०1-ई

(80)

Name of the Project - **Collection of the Minor Mineral (Boulder Bajri,Sand,RBM) from the sarada River for Next 10 Years (2023-2033)**

Parameter for Evaluation of loss of Forest
Nature of Proposal – Collection of the Minor Minerals from Sharda River as per the silvicultural requirement

Annexure-VI(C)

Sl. NO	Parameters	Road Tr Lines & Railways Lines
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefit to Economy.	A- Training of the river to Protect the adjoin forest land and habitat. B- One of the main sources of revenue without disturbing the nature. C- Availability of good Quality of Minor Mineral for the Development work. D- Large Scale of Direct & indirect Employment generation.
3	No of population benefited.	About 5000 Persons
4	Employment potential.	About direct and indirect 5000 person.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Not applicable
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal husbandry production due to diversion of the forest land.	Not applicable
7	Cost of rehabilitating the displaced person as different from compensatory amounts given for displacement.	Not applicable
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	About more than 40000.00 Rs per annum

Divisional Logging Manager
Uttarakhand Forest Development Corporation
Khanan Division Tanakpur (Champawat)